होली के दिन टिकुरिया टोला में बवाल, चले पत्थर

वार्ड पार्षद समेत 11 व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज, एक ही परिवार पर हमले के साथ तोड़े वाहन

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला में होली के दिन बवाल हो गया। यहां समाज विशेष के लोगों ने एक परिवार पर हमला करते हुए पथराव कर दिया। इस दौरान घर के बाहर खड़े 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

पुलिस पहुंची तो मामले को शांत कराते हुए इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। इस मामले में टिकुरिया टोला निवासी राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति पिता राम प्रताप प्रजापति (46)ने अपने पुत्र दीपक प्रजापति और हेमंत प्रजापति के साथ थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजेन्द्र ने पुलिस को बताया कि 4 मार्च की दोपहर करीब साढ़े 3 बजे अपने घर में था। तभी घर के बगल में शैलेन्द्र गुप्ता की किराना दुकान पर गोल्डी मलिक, रजित महतो, समित मलिक, समीर मलिक गाली गलौज कर रहे थे। उन्हें गाली देने से मना किया तो चारों ने अचानक हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर दीपक और हेमंत आए तो उनके साथ भी पत्थर और हाथ मुक्कों से आरोपियों ने मारपीट की। इस बीच आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। सभी आरोपियों ने घर में पथराव किया, मारपीट की और घर के बाहर खड़े चार वाहन एमपी 19 जेडके 6840, एमपी 19 एमएन 3372, एमपी 19 जेडके 4974, एमपी 19 जेडए 4964 को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया।

इनके खिलाफ हुई एफआईआर

कोलगवां थाना पुलिस ने फरियादी राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति पिता राम प्रताप प्रजापति (46) निवासी टिकुरिया टोला की रिपोर्ट पर आरोपी गोल्डी मलिक, रजित महतो, सुमित मलिक, समीर मलिक, सागर मलिक, रजत मलिक, लकी समुद्रे, बिट्टू मलिक, गोलू मलिक, राहुल मलिक, कल्लू मलिक के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना में लिया है।

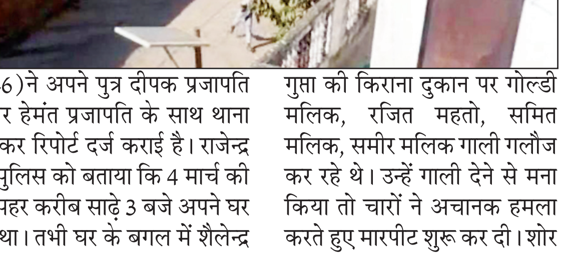

लोटस के डायरेक्टर ने पैसे लेने के बाद बंद किया काम

कोवेन्ट कोर्ट कॉम्पलेक्स का सपना दिखाकर ग्राहकों से ली राशि

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. लोटस इंफ्रारिएल्टी लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज चौरसिया ने कोवेन्ट कोर्ट कॉम्पलेक्स नाम से निमार्णाधीन शॉपिंग काम्पलेक्स दिखाकर कॉम्पलेक्स की लगभग सभी दुकानें ग्राहकों को बिक्रय कर करोड़ों की राशि लेने के बाद शॉपिंग मॉल का निर्माण कार्य बंद कर दिया।

इसी निमार्णाधीन कॉम्पलेक्स की दूसरी मंजिल में निर्मित होने वाली दुकान नंम्बर एसएस-एस5 जिसकी बेसिक कीमत 17 लाख 90 हजार रुपए है, को 23 नवंबर 2015 को 51 हजार रुपए देकर विराट नगर निवासी हिमांशु गर्ग ने भी बुक किया था। जिसके एवज में हिमांशु गर्ग ने 10 लाख 51 हजार का भुगतान कर दिया। कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य बन्द हो जाने पर हिमांशु गर्ग ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया और बिल्डर से अपनी जमा राशि की मांग की। डायरेक्टर नीरज चौरसिया ने ना तो निर्माण कार्य प्रारम्भ किया और ना ही हिमांशु गर्ग की जमा रकम ही लौटाई। जिससे परेशान होकर हिमांशु ने अपने अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी के माध्यम से एमपी रियल स्टेट रेगुलेटरी एथॉर्टी, रेरा भवन, भोपाल के समक्ष ब्याज सहित रकम वापसी एवं बिल्डर के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। सुनवाई करते हुए न्यायनिर्णायक अधिकारी मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल ने लोटस के डायरेक्टर के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए हिमांशु गर्ग द्वारा जमा राशि 10 लाख 51 हजार रुपए 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाए जाने का आदेश दिया। साथ ही शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के मद में 1 लाख रुपए प्रकरण व्यय के रूप में 21 हजार 7 सौ 35 रुपए एवं अन्य खर्च के रूप में 10 हजार रुपए भी दो माह के अंदर हिमांशु गर्ग को दिए जाने का आदेश पारित गया था। जिसकी ब्याज सहित कुल राशि 29 लाख 18 हजार 7 सौ रुपए की वसूली के लिए 16 अप्रैल 2021 को रेरा ने सतना कलेक्टर को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया था कि लोटस इंफ्रारिएल्टी लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज चौरसिया की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों को कुर्क कर 29 लाख 18 हजार 7 सौ रुपए की वसूली सुनिश्चित करें।

ना कुर्की हुई, ना ही वसूली राशि- सतना कलेक्टर द्वारा बिल्डर के विरूद्ध वसूली संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे व्यथित होकर आवेदक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका संख्या डब्ल्यूपी/2946/2026 संस्थित की। जिसकी सुनवाई करते हुए 9 फरवरी 2026 को उच्च न्यायालय ने सतना कलेक्टर को 6 माह के अंदर वसूली कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारति उक्त आदेश की कापी भी कलेक्टर सतना को प्राप्त हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

रेरा को खत्म कर देना चाहिए

अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि निवेशकों के साथ की जाने वाली अनियमितता को रोकेने एवं बिल्डरों के मकान निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यह एक्ट लाया गया जो लगभग सभी राज्यों में लागू है। सीमित अधिकार होने के कारण रेरा प्रभावशाली तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। रेरा का गठन बिल्डरों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किया गया था, किन्तु रेरा को सीमित अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी रिएल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह संस्था अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई है। रेरा पीड़ितों के बजाय बिल्डरों की मदद कर रही है। जिन लोगों के लिए रेरा बनाया गया है वे लोग पूरी तरह निराश व हताश हैं। पिछले आठ वर्षों में मध्य प्रदेश रेरा ने बिल्डरों के खिलाफ 2382 मामलों में 374 करोड़ की राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जिसमें से मात्र 10 करोड़ की ही वसूली आज तक हो पायी है। बिल्डरों की अनियमिताओं, मनमानें तरीके से घटिया निर्माण कार्य, मूलभूत सुविधाएं एवं ग्राहकों की क्षतिपूर्ति और प्रोजेक्ट पंजीयन से जुड़े 200 से 250 मामले प्रतिमाह रेरा में दर्ज होते हैं। बिल्डरों के ऊपर रेरा को कोई नियंतत्र नहीं रह गया है, बिल्डर आज भी रेरा से डिफाल्टर होते हुए भी ग्राहकों के साथ धोखा करते हुए अपना निर्माण कार्य जारी रखे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि रेरा को खत्म कर देना चाहिए।

चाचा की लाठी से भतीजे की मौत

रैगांव थाना के भटिगवां में हुई वारदात

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. रैगांव थाना क्षेत्र के भटिगवां में बुधवार की रात होली के माहौल के बीच चाचा- भतीजे में विवाद हो गया। इस दौरान चली लाठी से घायल हुए युवक ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

खबर पाते ही पुलिस ने एक आरोपी को राउंडअप कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। इस मामले में थाना प्रीाारी बिसन सिंह ने बताया कि रात करीब साढ़े 8 बजे भटिगवां निवासी प्रदीप सिंह पिता राजभान सिंह (33) का जमीन को लेकर अपने चाचा गुड्डू सिंह और चचेरे भाई शिवांश सिंह से विवाद हो गया था। बात इतनी बढ़ी कि गुड्डू और शिवांश ने प्रदीप पर लाठी से हमला कर दिया। मूंदी चोट आने पर करीब दो घंटे तक तो प्रदीप को उसके परिजन घर पर ही रखे रहे और मामला पारिवारिक होने पर पुलिस को सूचना नहीं दी। जब प्रदीप की हालत बिगड़ी तो देर रात उसे जिला अस्पताल लेकर गए। जहां रात करीब 1 बजे प्रदीप ने दम तोड़ दिया। मृत्यु की सूचना के बाद हत्या का अपराध कायम कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

सेमरिया चौराहे की होली में जुटे सैकड़ों

विहिप व बजरंग दल ने संयुक्त रूप से किया आयोजन

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. विहिप - बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति परंपरागत रंगों की गीली होली का कार्यक्रम सेमरिया चौराहा में भगवान राम के दरबार के दरबार के सामने दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्चन के साथ अटिका प्रसाद के भोग के पश्चात प्रारंभ हुई ।

कार्यक्रम में शहर भर के युवा बजरंग दल के आह्वान पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और आपस में रंगों की उमंग के साथ लगभग चार घंटे तक गाजे बाजे के साथ नाचते हुए होली खेली और कढ़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया ।

विश्व हिंदू परिषद की इस परंपरागत होली कार्यक्रम की लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद मानना है कि पानी बचाना जरूरी है उसे 364 दिन तक बचाना ही चाहिए मगर अपने उत्सव अपने त्यौहार का भी ख्याल रखना चाहिए । कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तम बनर्जी, योगेश ताम्रकार, मणिकांत महेश्वरी, विभाष बनर्जी, मनमोहन महेश्वरी, संजय गुप्ता, राम अवतार चमड़ियां, हरिओम गुप्ता के साथ, विश्व हिंदू परिषद के लखन केसरवानी, विक्रम चौधरी, विपिन सिंह, राजबहादुर मिश्रा, सागर गुप्ता अमित कमरानी, देवेंद्र सतवानी, रवेंद्र सिंह, मनीष शर्मा, सचिन शुक्ला, राजू परवंदा, अभिजीत गुप्ता, आदर्श त्रिपाठी, सुमित पारौहा, अश्वनी दाहिया ,सुजल वाल्मीकि ,बादल चतुर्वेदी, मनीष चतुर्वेदी सहित अभिषेक तिवारी शिवेंद्र गुप्ता संजय पटेल सहित कई समाजसेवियों ने हिस्सा लिया ।

चोरी के गहनों पर पड़ी नजर तो उतार दिया मौत के घाट

- नागौद थाना पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा
- नशे की हालत में आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. नागौद थाना क्षेत्र में कुलगढ़ी बांध डुडही नहर नाला के पास हुई युवक की हत्या का पर्दाफास कर लिया है।

हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास करीब ढाई लाख रुपए के गहने मिले हैं। चोरी के इन्हीं गहनों के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार, 27 फरवरी को कुलगढ़ी बांध डुडही नहर के नाला किनारे एक अज्ञात शव और मोटर साईकिल एमपी 19 एमजेड 1373 हीरो एचएफ डीलक्स मिली थी। बाइक की जांच से पता चला कि गाड़ी अनिल पटेल निवासी गोरइया के नाम पर है। मृतक के परिजनों को सूचित कर बुलाया तो मृतक के चाचा रामसजीवन ने मृतक की पहचान अपने भतीजे अनिल पटेल उर्फ भोक्का पिता राम प्रसाद पटेल उर्फ धरमू (28) निवासी ग्राम गोरइया कला थाना अमदराके रूप किया। शिनाख्त के बाद धारा 103(1) बीएनएस का अपराध कामय कर विवेचना में लिया गया पुलिस की जांच में पता चला कि अनिल पटेल 25, 26, 27 फरवरी को कुलगढ़ी डुडही में गोलू चर्मकार के साथ देखा गया। गोलू चर्मकार से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मृतक के पास शराब पीने के दौरान सोने चांदी के जेवरात देखने से लालच आया। 27 फरवरी को अनिल के साथ शराब, गांजा पिया। चालाकी से गोलू ने अनिल को अधिक मात्रा दी। जब अनिल को तेज नशा हो गया तो गोलू ने पीछे से आकर उसके सिर पर बड़े पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके जेब से सोने चांदी के जवेरात निकालकर छिपा दिया। पुलिस ने गोलू चौधरी पिता सियाराम चौधरी (23)निवासी डुडही के कब्जे से 2,40000 रुपए के जेवरात जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया है।

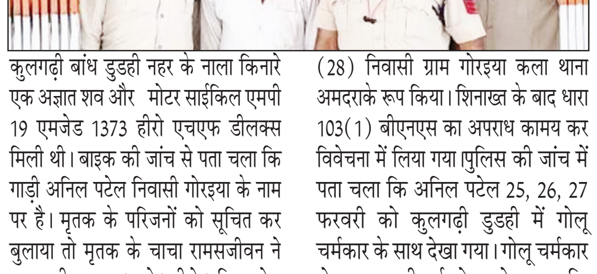

मां- बहन के गहने चोरी किए

पुलिस जांच में पता चला कि अनिल 24 फरवरी को अनी मां और बहन के गहने चोरी करने के बाद घर से भाग गया था। इसकी रिपोर्ट थाना अमदरा में दर्ज है। पुलिस ने हत्या के आरोपी से जेवरात बरामद करने के बाद प्रकरण में धारा धारा 311 बीएनएस बढ़ाई है। हत्या की घटना का खुलासा करने में निरीक्षक अशोक पांडेय, एसआई राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, एएसआई एसएल रावत, प्रधान आरक्षक रामकिशोर, राजेन्द्र पांडेय, संतोष सिंह, आरक्षक अनिल साकेत, किशन सिंह, ओम प्रकाश की अहम भूमिका रही।

बाल यौन अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास

विशेष पॉक्सो न्यायालय उचेहरा ने सुनाई सजा

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. बाल यौन अपराध के एक गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय, उचेहरा ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोरतम दंड से दंडित किया है। यह निर्णय न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक सशक्त संदेश भी देता है।

विशेष प्रकरण 9/2024 (राज्य बनाम कमलेश कुशवाहा) में न्यायालय ने आरोपी कमलेश कुशवाहा (38) निवासी ग्राम गोबरांव कला को दोषी ठहराया। यह मामला थाना उचेहरा थाना के अपराध क्रमांक 39/2023 से संबंधित है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। प्रकरण में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 सहपठित धारा 6 के अंतर्गत अभियोग स्थापित किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 27 जनवरी 2023 को ग्राम गोबरांव कला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के पास घटित हुई थी। पीड़ित बालक के साथ आरोपी द्वारा गंभीर यौन अपराध किया गया था। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर विधिवत विवेचना पूरी की गई। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित, परिजन, चिकित्सक, पुलिस अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के बयान कराए। साथ ही दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों एवं विधिक प्रावधानों का सूक्ष्म परीक्षण कर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड दे दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

विकलांग उत्थान परिषद के नवीन कार्यकारिणी की घोषणा इसी माह : विनोद

नव भारत न्यूज

सतना 5 मार्च। गुरुवार 5 मार्च को यहां टाउन हाल प्रांगण में विकलांग उत्थान परिषद मध्य प्रदेश जिला इकाई सतना की मासिक बैठक परिषद संस्थापक -अध्यक्ष विनोद भाई टेढ़गवां के मुख्यातिथि में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न द्विवेदी ने की। इस मौके पर परिषद के सचिव रामपाल सिंह पटेल व परिषद के सक्रिय सदस्य वृंदावन कुशवाहा , रामानुज कुशवाहा बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान विकलांग उत्थान परिषद मध्य प्रदेश के सतना जिला कार्यकारिणी (कमेटी) की घोषणा अगली बैठक में किए जाने का निर्णय लिया गया।

परिषद की आयोजित उपरोक्त बैठक में दिव्यांगों के प्रताड़ना की एफआईआर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत पुलिस थानों में दर्ज कराने, देश में पेंशन राशि समान रूप से लागू करने, शिक्षित दिव्यांगों की सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अनिवार्य रूप से नौकरियां उपलब्ध कराने और नौकरियों के अभाव में शिक्षित दिव्यांगों को बेरोजगारीभत्ता दिलाने, दिव्यांग समाज को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु बैंकों में बैकिंग प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने, शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में दिव्यांग समाज के बच्चों को 5 वर्ष की आयु से लेकर उच्च शिक्षा तक नि:शुल्क अध्यापन कराते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने, विकलांग उत्थान परिषद के जिला कार्यालय हेतु शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमि का आवंटन कराने और शासकीय व अशासकीय संस्थानों में दिव्यांगों की पहुंच के लिए रैम्प सीढ़ी अनिवार्य रूप से होने जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा हुई। बैठक समाप्ति के पूर्व विकलांग उत्थान परिषद परिवार द्वारा प्रिंस अग्रवाल के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना प्रकट करते हुए भावभीनी श्रृद्धांजलि अर्पिती गई।

महिलाओं के लिए साइकिल रैली आज

सतना, 5 मार्च. सतना साइकिलिंग क्लब के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा साइकिलिंग कार्यक्रम/रैली का आयोजन किया जा रहा है।

आयोजक- वीरेंद्र सिंह रावल, ने बताया कि 6 मार्च को 6 बजे भरहुत होटल सिविल लाइंस समापन होटल पार्क,रीवा रोड में होगा. आयोजकों ने महिलाओं से ज्यादा संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है.

मामूली कहासुनी में घर में खड़ी 2 बाइको में लगाई आग

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. नागौद थाना क्षेत्र व पोड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत पतौरा गांव में शराब के नशे में कुछ युवकों ने घर में घुसकर वहां खड़ी दो मोटरसाईकिलों आग लगा दी ।

इस संबंध में पतौरा गांव निवासी शिवप्रसाद प्रजापति पिता जंगाली प्रजापति उम्र 18 वर्ष ने गांव के दो युवकों पर मोटरसाइकिल में आग लगाने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि पिता ईंटे बनाने का कार्य करते है 4 मार्च दोपहर में घर से दूर ईंट भट्ठे में कार्य कर अपने मित्र के साथ घर आ रहा था इसी दौरान रास्ते में मनीष कोल और अजय प्रजापति के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद देर शाम आरोपी ने अपने अन्य साथी विक्कू पाण्डेय निवासी पतौरा के साथ घर पहुंच गाली गलौज करते हुए घर में खड़ी मोटरसाइकिल क्रमांक स्क्क19 ँह 7286 एवं स्क्क19 स्क्ष् 2938 मे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी। बाइक में आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गईं। परिवार के लोगों ने तुरंत पानी और अन्य साधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पीडति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रिज़्म सीमेंट में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. प्रिज़्म जॉनसन लिमिटेड परिसर मे 55वॉ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर्ष उल्लास के साथ ब?ी संख्या मे फैक्ट्री के कर्मचारी व अधिकारियो की उपस्थित मे मनाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत सुरक्षा ध्वजारोहण मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार सिंह (प्रेसीडेन्ट एंड प्लांट हेड), डॉ0 मनीष कुमार सिन्हा (हेड एचआरएम एंड कार्पोरेट अफेयर्स एंड हेड कार्पोरेट एचआर), श्री अमित बिहानी (हेड एकाउण्ट्स एंड फाइनेंस) की उपस्थिति में किया गया। इसके पश्चात् सुरक्षा वाचन कर सभी वरिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियो एवं कामगार भाइयो को सुरक्षा शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात श्री प्रताप देशमुख तथा उनकी टीम के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कंपनी के डीजीएम सी.एस.आर. एंड पीआर देवेन्द्र मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुये बताया कि मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार सिंह (प्रेसीडेन्ट एंड प्लांट हेड) ने अपने उद्बोधन मे कहा कि सुरक्षा तीन की, साथी सुरक्षा मशीन की। असावधानी ही दुर्घटना का सबसे ब?ा कारण है। उन्होने सुरक्षित कार्य निर्देशों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा एस.ओ.पी. का पूर्णत: पालन करने का आह्वान किया, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना को टाला जा सके।

बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य मे विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था जिसमे सभी स्थाई कर्मचारियों, ठेका श्रमिको तथा उनके परिवारजनो के अलावा स्कूली बच्चो ने भी बढ-चढ कर हिस्सा लिया। चयनित प्रविष्टियों को पुरस्कार भी प्रदान किये गये। इस कार्यक्रम में फायर मॉकड्रिल का सफल प्रदर्शन सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल एवं पर्सनल विभाग द्वारा किया गया। विपिन कुमार, महाप्रबंधक सेफ्टी के द्वारा कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान द्वारा किया गया एवं अंत मे सभी को प्रसाद वितरण किया गया ।

एक नजर में

चित्रांशों ने किया सामूहिक कलम-दवात और श्री चित्रगुप्त पूजन

सतना । कायस्थ समाज के तत्वावधान में 5 मार्च को जगतदेव तालाब स्थित श्री चित्रगुप्त मन्दिर में सुबह 11 बजे से भगवान श्री चित्रगुप्तजी के समक्ष कलम-दवात का सामूहिक पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी रहे, अध्यक्षता आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने की तथा समाज के पदाधिकारी डा डी के निगम, बृजेश निगम, विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक निगम, राकेश श्रीवास्तव, सतीश निगम, सचिन श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव,आनन्द शंकर खरे, अमर नाथ श्रीवास्तव, नागेंद्र खरे, अनिल श्रीवास्तव की विशेष उपस्थिति में श्री चित्रगुप्त भगवान का अभिषेक, सामूहिक हवन, महा आरती कार्यक्रम आस्था एव हर्षोल्लास के साथ किया गया।

सतना सेवा संकल्प में रंगों संग उमड़ा उल्लास

सतना । सेवा और समर्पण के लिए विख्यात सतना सेवा संकल्प द्वारा जिला अस्पताल परिसर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक समाजसेवियों, व्यापारियों एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम ने सेवा और सद्भाव के रंगों को और अधिक प्रगाढ़ कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक होली गीतों के साथ हुई। वातावरण में जब फाग के स्वर गूंजे तो उपस्थित जनसमूह रंग और उमंग में सराबोर हो गया। चुटकुलों, हास्य-व्यंग्य और शेरो-शायरी के बीच हंसी की फुहारें लगातार बरसती रहीं।

महिला दिवस पर फिट इंडिया वूमेन्स के होंगे कार्यक्रम

सतना. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर 6 मार्च से 8 मार्च तक फिट इंडिया वूमेन्स वीक 2026 के तहत विविध गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। महिलाओं एवं किषोरियों की सहभागिता सुनिष्चित कर उन्हें स्वास्थ्य, फिटनेस एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देष्य महिला बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, पुलिस, पर्यटन विभाग आदि के सहयोग से दिवस वार थ्रीमैटिक गतिविधियां आयोजित होंगी। कलेक्टर डॉ. सतीष कुमार एस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के संबंध में जारी गतिविधियों के कैलेण्डर के अनुसार 6 मार्च को आत्मरक्षा तथा सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम, 7 मार्च को खेल प्रतियोगिता, योगाभ्यास और व्यायाम के जागरूकता के कार्यक्रम तथा 8 मार्च को साइकलिंग फॉर हेल्थ के लिए साइकिल डे का आयोजन किया जायेगा।